न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
23/2021	14/09/2021	17/11/2025

छीताबाई पुत्री चन्दा जाति बैरवा नि० चकटोढी तह० पीपल्दा जि० कोटा राज

प्रार्थिया

बनाम

राज० सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, पीपल्दा जि० कोटा राज

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तत धारा 136 एल. आर. बाबत इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पिता स्वर्गीय श्री चन्दा उर्फ रामचन्द्र पुत्र माधो जाति बैरवा नि० चकटोडी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की कृषि आराजी ख.नं. 57 रकबा 0.10 है0, ख.नं. 58 रकबा 0.79 है0, ख0नं0 59 रकबा 0.63है0, ख0नं0 60 रकबा 0.66 है0, ख0नं0 61 रकबा 0.63है0, ख0नं0 62 रकबा 0.66है0, ख0नं0 8 रकबा 0.09 है, कुल किता 7 कुल रकबा 3.56है0, वाके माल ग्राम खेडली पेमा तह. पीपल्दा जि० कोटा में स्थित है, जिसमें प्रार्थिया के पिता का नाम 1/5 हिस्से पर दर्ज है, जमाबंदी संवत 2073 से 2076 संलग्न है। प्रार्थिया के पिता का वास्तविक नाम चन्दा पुत्र माधो है, लेकिन उक्त जमाबंदी में भूलवश या त्रुटिवश चंदा के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र माधो दर्ज हो गया, प्रार्थीया के पिता की मृत्यु दि० 25.9.1994 को हो चुकी है, तथा जन्म मृत्यु रजिस्टर के यहाँ से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र से चंदा पुत्र माधो ही दर्ज है, जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की जा चुकी है, जो संलग्न प्रार्थना प० है, उक्त त्रुटि के कारण प्रार्थिया के नाम नामान्तरण तस्दीक नहीं हो सकता। जिसको दुरुस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है तथा प्रार्थिया के पिता मृतक चंदा की एक मात्र वारिसान होने के कारण उसे दुरुस्त करवाने की अधिकारी है। प्रार्थिया के पिता चन्दा पुत्र माधो के संयुक्त खाते की अन्य आराजीयात ग्राम चकटोढी तह पीपल्दा में कुल किता 7 कुल रकबा 4.19 है0, स्थित है, जिसमें प्रार्थिया के पिता का हिस्सा 1/6 है उक्त आराजीयात में प्रार्थीया के पिता का सही नाम चंदा पुत्र माधो दर्ज होने से प्रार्थीया के नाम पोती इंतकाल खोला जाकर नाम दर्ज कर दिया गया, जमाबंदी ग्राम चकटोडी संवत 2073 से 2076 संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त त्रुटि नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थिया द्वारा कई मर्तबा अप्रार्थी से निवेदन किया गया लेकिन आज तक को कार्यवाही नहीं की गई। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 29.1.2021 को अंतिम बार स्पष्ट. मना कर दिये जाने पर प्रार्थिया को मजबूरन अप्रार्थी के खिलाफ माननीय न्यायालय से प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा। अतः प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरुस्ती पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि ग्राम खेडली पेमा तह० पीपल्दा से स्थित प्रार्थीया के पिता के संयुक्त खाते की उक्त कृषि आराजी किता 7 रकबा 3.56 है0, में हिस्सा 1/5 पर दर्ज प्रार्थिया के पिता का नाम रामचन्द्र पुत्र माधो को दुरुस्त कर चंदा पुत्र माधो किये जाने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाये।

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र श्री रमेश बैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार प्राप्त है जो अग्रलिखित है। मुताबिक राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम खेडली पेमा खाता स. 21 में रामचन्द्र

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

पुत्र माधो हि. 1/5 जाति बैरवा सा. चकटोडी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का ढीबरी चम्बल के अनुसार चन्दा पुत्र माधो व रामचन्द्र पुत्र माधो दोनो एक ही व्यक्ति है। इन्हे चन्दालाल व रामचन्द्र दोनो नामों से जाता है। ग्राम चकटोडी में रामचन्द्र पुत्र माधो जाति बैरवा नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। रामचन्द्र उर्फ चन्दालाल की मृत्यू हो चुकी है। अतः रामचन्द्र के स्थान पर चन्दालाल शुद्ध किया जाना उचित होगा। बहस सुनी गई। बहस के तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के मनन व अवलोकन पाया कि मृत्यु प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत ढीपरी चम्बल की रिपोर्ट व जवाब सरकार के अनुसार रामचन्द्र के स्थान पर चन्दालाल शुद्ध किया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वाके माल ग्राम खेडली पेमा तह. पीपल्दा जि० कोटा में स्थित ख.नं. 57 रकबा 0.10 है0, ख.नं. 58 रकबा 0.79 है0, ख0नं0 59 रकबा 0.63है0, ख0नं0 60 रकबा 0.66 है0, ख0नं0 61 रकबा 0.63है0, ख0नं0 62 रकबा 0.66है0, ख0नं0 8 रकबा 0.09 है, कुल किता 7 कुल रकबा 3.56है0, में प्रार्थिया के पिता का नाम रामचन्द्र पुत्र माधो के स्थान पर चन्दा पुत्र माधो राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा